

छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/08

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 4.01.2021

प्रति,

पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर,

विषय:- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन किये जाने पर आस्तियों/दायित्वों के विभाजन के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/साख-1/नं. कं./09-15/2020/3782 दिनांक 07.11.2020.

सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन फलस्वरूप आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन करने हेतु प्रस्तावित आधार का प्रारूप प्रेषित किया गया है।

प्रस्तावित आधार के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन करने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।

सही
(पी.एस.सर्पराज)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

**dk;ky; ith;d
lgdkjh lLFkk,] NRRkh lx<**

विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771-2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल -rsc.coop@nic.com

क्रमांक/साख-1A/न.क्र.9-15/2021/370

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 25.01.2021

प्रति,

संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं,
(समस्त) छत्तीसगढ़,

विषय:- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन किये जाने पर आस्तियों/दायित्वों के विभाजन के संबंध में।

सन्दर्भ:-1. छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का पत्र क्रमांक एफ-15-35/15-02/2019/2279, नवा रायपुर दिनांक 27.10.2020.

2 छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का पत्र क्र. एफ-15-35/15-02/2019/08, नवा रायपुर दिनांक 04.01.2021.

कृपया संदर्भित पत्र क्र. 01 का अवलोकन हो, जो कि आपको पृष्ठांकित हैं। उक्त ज्ञापन से नवीन समितियों के पंजीयन, कर्मचारियों का विभाजन, आस्तियों एवं दायित्वों के निपटारे बाबत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए थे। पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन से 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां अस्तित्व में आ चुकी है। शासन द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश की कंडिका 05 के तहत आस्तियां एवं देयताओं के बटवारे बाबत विभाजन का आधार, के दिशा-निर्देश संलग्न प्रेषित है।

अतः विभाजन के आधार के दिशा-निर्देशों के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन बाबत कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

क्रमांक/साख-1A/न.क्र.9-15/2021/370 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 25.01.2021

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, नवा रायपुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, समस्त छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पुनर्गठन योजना के लिये प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के मध्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन किये जाने हेतु विभाजन का आधार:—

	देयताएँ	विभाजन का आधार एवं तरीका
	1	2
1	पूंजी	
	1. प्राधिकृत	प्रभावित सोसाइटी के लिये अपरिवर्तनीय रहेगी। परिणामी सोसाइटी के लिये जैसा कि उसके पंजीकृत किये जाने वाले उपविधि में विहित किया जायेगा।
	2. अभिदत्त	
	3. चुकता/प्रदत्त	
	क. वैयक्तिक	विभाजन के ठीक पूर्व प्रभावित सोसाइटी के कुल प्रदत्त अंशपूंजी में से, परिणामी सोसाइटी में शामिल होने वाले ग्रामों के कुल सदस्यों के द्वारा धारित हिस्सा राशि परिणामी सोसाइटी में अंतरित की जावेगी।
	ख. सरकार	सदस्य अंश पूंजी अनुपात में विभाज्य।
	ग. अन्य	अन्य व्यक्तियों/समूह/समिती या फर्म द्वारा अंशपूंजी का विभाजन संबंधित व्यक्ति/समूह/समिति या फर्म के सहमति से उनके द्वारा सहमत अनुपात के अनुसार ही विभाजन योग्य होगा।
	रिजर्व और निधियों (पैक्स के अधिशेष से निर्मित)	

	1. रिजर्व निधि	सदस्य अंशपूँजी अनुपात में विभाजन।
	2. पूँजी रिजर्व	सदस्य अंशपूँजी अनुपात में विभाजन।
	3. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि	सदस्य अंशपूँजी अनुपात में विभाजन।
	4. लाभानुशं समानीकृत निधि	सदस्य अंशपूँजी अनुपात में विभाजन।
	5. कामन गुड्स निधि	सदस्य अंशपूँजी अनुपात में विभाजन।
	6. बिल्डिंग फंड (पैक्स के सरप्लस से निर्मित)	सदस्य अंशपूँजी अनुपात में विभाजन।
	7. अन्य (अन्य विवरण दें)	सदस्य अंशपूँजी अनुपात में विभाजन।
3.	लाभ और हानि लेखा (यदि अंतिम शेष लाभ हो)	सदस्य अंशपूँजी अनुपात में विभाजन।
4.	अनुदान और अन्य निधियों	
	1. भविष्य निधि	वास्तविक कर्मचारी के अनुपात में
	2. बिल्डिंग निधि(राज्य सरकार से प्राप्त)	भवन विभाजन अंशपूँजी के अनुपात में विभाज्य होगा।
	3. पुनः पूँजीकरण सहायता निधि	सदस्य अंशपूँजी अनुपात में विभाजन।
	4. समिति के लिये सब्सिडी राशियाँ	सदस्य अंशपूँजी अनुपात में विभाजन।
	5. सदस्यों के लिये सब्सिडी राशियाँ	जिन सदस्यों के लिये सब्सिडी प्राप्त हुई है उनके विभाजन के अनुपात में विभाजन होगा।
	6. अन्य(विवरण दें)	मुख्यतः यह राशि सदस्य अंशपूँजी के अनुपात में विभाज्य होगी तथापि विवरणों के परीक्षण उपरांत मदवार विभाजन होगा।
5.	जमा राशियाँ	

	1. बचत जमा	ग्राम के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के विभाजन के अनुसार विभाज्य।
	2. आवर्ती जमा	ग्राम के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के विभाजन के अनुसार विभाज्य।
	3. मियादी जमा	ग्राम के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के विभाजन के अनुसार विभाज्य।
	4. पुनः निवेश जमा	ग्राम के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के विभाजन के अनुसार विभाज्य।
	5. अन्य जमा(विवरण दें)	ग्राम के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के विभाजन के अनुसार विभाज्य।
6.	उधार(Borrowings)	
	क. जिमस बैंक/रास बैंक से उधार	
	1. अल्पावधि(मौकृप)/केसीसी ऋण सीमा	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	2. मध्यावधि/दीर्घावधि कृषि ऋण	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	3. मध्यावधि परिवर्तन	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	4. मध्यावधि/दीर्घावधि पुनः अनुसूचिकरण	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	5. स्वयं सहायता समूह ऋण	जो समूह जिस सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में पंजीकृत है उस समूह पर सोसाइटी स्तर पर बकाया राशि के अनुपात में अंतरित की जायेगी।
	6. गैर कृषि क्षेत्र ऋण	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	7. कृषि उत्पादों की खरीद के लिये नकद ऋण सीमा	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	8. स्वर्ण ऋणों के लिये नकद ऋण सीमा	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।

	9. जिसम बैंक/रास बैंक में जमा के समक्ष ऋण	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	10. उर्वरक नकद ऋण सीमा	खाद/उर्वरक के भौतिक स्टॉक विभाजन अनुपात में विभाज्य।
	11. बीज नकद ऋण सीमा	बीज के भौतिक स्टॉक विभाजन अनुपात में विभाज्य।
	12. जन वितरण योजना के लिये नकद ऋण सीमा	स्टॉक के भौतिक विभाजन अनुपात में विभाज्य।
	13. उपरोक्ता वस्तुएं नकद ऋण सीमा	स्टॉक के भौतिक विभाजन अनुपात में विभाज्य।
	14. अन्य गैर ऋण गतिविधियां	ऋण की प्रकृति के अनुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन होगा।
	15. जिसम बैंक/रास बैंक से अन्य उधार (विवरण दें)	ऋण की प्रकृति के अनुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन होगा।
	ख. राज्य सरकार से उधार	अंशपूँजी के विभाजन के आधार पर
	ग. अन्य संस्थाओं से उधार (विवरण अनुबंध में)	सदस्य ऋण शेष अनुपात में या अनुबंध अनुसार जानकारी होने पर विभाजन योग्य होगा।
7.	अन्य देयताएँ	
	1. जमा राशियों पर उपचित ब्याज	जमाकर्ता के जमा राशि पर बकाया ब्याज के विभाजन अनुपात में विभाज्य।
	2. उधारों पर उपचित ब्याज	सदस्य ऋण शेष पर बकाया ब्याज के अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	3. दावा न किये गये लाभांश	जिन सदस्यों ने लाभांश का दावा नहीं किया है उनके विवरण के अनुसार अर्थात् ऐसे जितने सदस्य परिणामी सोसाइटी में जा रहे हो उनसे संबंधित राशि परिणामी सोसाइटी में अंतरित की जायेगी।
	4. विविध लेनदार(विवरण अनुबंध में)	अनुबंध की जानकारी के अनुसार विभाजन किया जाय।
	5. अन्य देयताएं (विवरण में)	अनुबंध की जानकारी के अनुसार विभाजन किया जाय।
10	प्रावधान	

	1. भविष्य निधि/ग्रेच्यूटी/बोनस/पेंशन हेतु	वास्तविक कर्मचारियों के राशि के आधार पर विभाजन अनुपात में विभाज्य।
	2. मनक आस्तियों के लिये	वर्तमान लागू नहीं यदि प्रावधान तैयार किया गया है तो एनपीए वर्गीकरण के अनुसार विभाज्य होगा।
	3. व्ययों हेतु	व्ययों के प्रकृति के अनुसार उसी अनुपात में विभाज्य होगा।
	4. अन्य(विवरण दें)	विवरणात्मक जानकारी तैयार कर मर्दों की प्रकृति के अनुसार विभाजन होगा।

	आस्तियों / परिसंपत्तियाँ	ब्लकअप
1	हस्ते रोकड / हाथ में नकदी	हस्तस्थ नकदी जिस मद का है उस के अनुरूप उसी आधार पर विभाजन होगा।
2	जिमस बैंक / रास बैंक में शेष	
	1. चालू खाता	प्रथमतः प्रभावित सोसाइटी की यह राशि किस मद(खाता)की है उसे देखकर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन होगा। और बैंक में नया खाता खोला जायेगा।
	2. बचत खाता	प्रथमतः प्रभावित सोसाइटी की यह राशि किस मद(खाता)की है उसे देखकर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन होगा। और बैंक में नया खाता खोला जायेगा।
3	अन्य बैंकों / संस्थाओं में शेष	
	1. चालू खाता	प्रथमतः प्रभावित सोसाइटी की यह राशि किस मद(खाता)की है उसे देखकर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन योग्य राशि का निर्धारण किया जायेगा एवं विभाजन पूर्व संबंधित बैंक की सहमति आवश्यक होगी।
	2. बचत खाता	प्रथमतः प्रभावित सोसाइटी की यह राशि किस मद(खाता)की है उसे देखकर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन योग्य राशि का निर्धारण किया जायेगा एवं विभाजन पूर्व संबंधित बैंक की सहमति आवश्यक होगी।
4	निवेश	
	1. सरकारी और ट्रस्टी / न्यास प्रतिभूतियाँ	प्रभावित सोसाइटी के पास।
	2. अन्य सहकारी संस्थाओं में शेयर (विवरण अनुबंध में)	अंशपूँजी के आधार पर विभाजन किया जायेगा। मूल शेयर प्रभावित समिति में रहेगा।
	3. जिमस बैंक / रास बैंक में मियादी जमा(रिजर्व निधियों से अनुबंध)	अंशपूँजी के आधार पर विभाजन किया जायेगा।

	आस्तियाँ / परिसंपत्तियाँ	ब्रेकअप
	4. जिमस बैंक / रा.स.बैंक में मियादी जमा(रिजर्व निधि के अतिरिक्त)	अंशपूँजी के आधार पर विभाजन किया जायेगा।
	5. अन्य बैंको में मियादी जमा	अंशपूँजी के आधार पर विभाजन किया जायेगा।
	6. राष्ट्रीय बचत पत्र / किसान विकास पत्र	अंशपूँजी के आधार पर विभाजन किया जा सकता है।
	7. भविष्य निधि ट्रस्ट / बैंक में जमा स्टाफ भविष्य निधि का शेष	वास्तविक कर्मचारियों विभाजन के अनुपात में विभाज्य।
	8. अन्य निवेश(विवरण अनुबंध में)	जानकारी तैयार कर निवेश की प्रकृति के अनुसार विभाजन होगा।
5	ऋण और अग्रिम	
	1. अल्पविधि(मोकृप) / केसीसी ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	2. मध्यावधि / दीर्घावधि कृषि ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	3. मध्यावधि / परिवर्तन ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	4. मध्यावधि / दीर्घावधि पुनः अनुसूचिकरण ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	5. कृषि उत्पादों के गिरवी के समक्ष में ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	6. एसएचजी ऋण(स्वयं सहायता समूह)	संबंधित स्वसहायता समूह जिस समिति के कार्यक्षेत्र में पंजीकृत है उसके पास रहेगी / अंतरित की जायेगी।
	7. गैर कृषि क्षेत्र ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	8. जमा के समक्ष ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।

	आस्तियाँ / परिसंपत्तियाँ	ब्रेकअप
	9. टिकाउ उपभोक्ता वस्तुओं के लिये ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	10. स्वर्ण ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	11. स्टाफ सदस्यों को ऋण	वास्तविक कर्मचारी विभाजन के अनुसार विभाज्य।
	12. अन्य ऋण(विवरण दें)	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
6	अंतिम स्टॉफ	
	1. कृषि निविष्टियाँ-उर्वरक	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	2. कृषि निविष्टियाँ-बीज	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	3. कृषि निविष्टियाँ-कीटनाशक	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुएं	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	5. गैर पी.डी.एस. उपभोक्ता वस्तुएं	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	6. प्रापण योजना के तहत खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	7. मिड डे मिल योजना के तहत सामग्री	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	8. अन्य स्टॉक / वस्तुएं / प्रक्रिया धीन	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।

	आस्तियों / परिसंपत्तियाँ	ब्रेकअप
7	अचल परिसंपत्तियाँ (मूल्य हास चार्ट के अनुसार मूल्यहास को छोड़कर)	
	1. भूमि और भवन / गोदाम	प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपलब्ध भवन समिति को प्राप्त होगा। पुस्त मूल्य पर अंशपूँजी के आधार पर विभाज्य होगा।
	2. फर्नीचर और फिक्चर्स	प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपलब्ध फर्नीचर और फिक्चर्स समिति को प्राप्त होगा। पुस्त मूल्य पर अंशपूँजी के आधार पर विभाज्य होगा।
	3. कम्प्यूटर और इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपलब्ध कम्प्यूटर और इलेक्ट्रिकल समिति को प्राप्त होगा। पुस्त मूल्य पर अंशपूँजी के आधार पर विभाज्य होगा।
	4. वाहन	प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपलब्ध वाहन समिति को प्राप्त होगा। पुस्त मूल्य पर अंशपूँजी के आधार पर विभाज्य होगा।
	5. अन्य अचल आस्तियाँ (विवरण दें)	प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपलब्ध अन्य अचल आस्तियाँ समिति को प्राप्त होगा। पुस्त मूल्य पर अंशपूँजी के आधार पर विभाज्य होगा।
8	अन्य आस्तियाँ	
	1. (क) उपचित और प्राप्य ब्याज (1 से 3)	
	1. मानक ऋणों पर उपस्थित किंतु देय नहीं हुए ब्याज	अंशधारी सदस्यों पर बकाया ब्याज अनुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटीयों के बीच विभाजन होगा।
	2. अनर्जक आस्ति ऋणों पर उपचित किंतु देय नहीं हुए ब्याज	अंशधारी सदस्यों पर बकाया ब्याज अनुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटीयों के बीच विभाजन होगा।

	आस्तियाँ/परिसंपत्तियाँ	ब्रेकअप
	3. प्राप्य अतिदेय ब्याज	अंशधारी सदस्यों पर बकाया ब्याज अनुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटीयों के बीच विभाजन होगा।
	2. क.निवेशों पर प्राप्य ब्याज	निवेश के विभाजन के आधार पर विभाजन होगा।
	3. प्राप्य विविध आय	आय की प्रकृति के अनुसार विभाजन योग्य होगा।
	4. क विविध देनदार	विवरणात्क जानकारी तैयार कर मर्दों की प्रकृति के अनुसार विभाजन होगा।
6	पहले भुगतान किये गये व्यय	भुगतानों की जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार विभाजन होगा।
7	स्त्रोत पर काटा गया आयकर	भुगतानों की जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार विभाजन होगा।
8	अन्य	भुगतानों की जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार विभाजन होगा।
	लाभ और हानि खाता(यदि शेष हानि हो)	सदस्यों के अंशपूँजी राशि के अनुपात में विभाजन

टीप:-1. यदि कतिपय मर्दों का विभाजन नहीं हो पा रहा हो तो देयताएं एवं परिसंपत्तियां प्रभावित सोसाइटी के पास रहेंगी। 2. पुनर्गठन योजना के तहत दायित्व की तुलना में प्रभावित सोसाइटी द्वारा संपत्तियों का विभाजन कम प्रदान करने पर प्रभावित सोसाइटी परिणामी सोसाइटी के लिये दायित्वाधीन होगी। 3. पुनर्गठन योजना के तहत प्रदत्त संपत्ति की तुलना में प्रभावित सोसाइटी द्वारा दायित्वों का विभाजन कम प्रदान करने पर परिणामी सोसाइटी प्रभावित सोसाइटी के लिये दायित्वाधीन होगी। 4. पुनर्गठन योजना के तहत उपरोक्तानुसार संपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन के उपरांत बाद में यदि कोई देयता वएं या परिसंपत्तियां संज्ञान में आती है तो उसका विभाजन भी उपरोक्तानुसार पुनर्गठन योजना के मानकों के अनुसार होगा और दोनों सोसाइटीयों पर आबद्धकारी होगा।